प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 95/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने हितधारकों की टिप्पणियों के लिए दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2023 का मसौदा जारी किया।

नई दिल्ली, 27 सितंबर 2023 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण(भादूविप्रा) ने आज हितधारकों की टिप्पणियों के लिए दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम**,** 2023 का मसौदा जारी किया है।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम**,** 2009 (2009 का 8) देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के लिए विनियामक फ्रेमवर्क निर्धारित करता है। अब तक दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम**,** 2009 के आठ संशोधन जारी किए जा चुके हैं।

3. हाल ही में, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा को अपने विभिन्न संचारों के माध्यम से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए विनियामक फ्रेमवर्क के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। दूरसंचार विभाग के सुझावों के दृष्टिगत, प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों के लिए संशोधन विनियमों का मसौदा जारी करने का निर्णय लिया है।

4. इस संबंध में, हितधारकों से इनपुट मांगने के लिए **दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2023 का मसौदा** भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर अपलोड किया गया है। संशोधन विनियमों के मसौदे में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से दिनांक 25 अक्टूबर 2023 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

5. टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा को ईमेल आईडी: advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/-

(वी. रघुनंदन)

सचिव,भादूविप्रा